उत्तर रेलवे

नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, अम्बाला छावनी द्वारा आकस्मिक दुर्घटना में 13 वैगनों से गिर हुए/उपलब्ध कोयले (जहां जैसे के आधार पर) की नीलामी बराड़ा–केसरी स्टेशन के मध्य अम्बाला मंडल में की जानी है। नीलामी **दिनांक 03.01.2018 प्रातः 11.00 बजे** से नीलामी संचालित अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी, लेकिन निर्धारित तिथि 03.01.2018 को किसी कारणवश छुट्टी घोषित हो जाती है तो नीलामी अगले दिन निर्धारित समय एवं स्थान पर की जाएगी। **नामः** अम्बाला मंडल, उत्तर रेलवे के बराड़ा–केसरी स्टेशन के मध्य मारकंडा पुल के नजदीक कोयले को बेचने की नीलामी। **कोयले की अनुमानित मात्राः** लगभग 672.50 टन। **अनुमानित लागत/आरक्षित मूल्यः** लगभग रुपए 10,92,813/- (रुपए दस लाख, बानवे हजार आठ सौ तेरह)। **अग्रिम राशिः** 10 प्रतिशत कोयले के मूल्य की बोली का। **नीलामी का स्थान एवं समयः** दुर्घटना स्थल बराड़ा–केसरी स्टेशन के मध्य मारकंडा पुल के नजदीक कि.मी. 244/19. **स्थान एवं समयः** 03.01.2018 समय 11.00 बजे। बोली दाता नीलामी वाले स्थान पर अपने साथ अपना मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या भारत सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र लेकर नीलामी में उपस्थित होंगे। वे अपनी उपस्थिति नीलामी सुपरवाइजर अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के पास उपलब्ध रजिस्ट्रर में फर्म के मुख्य/प्रधान के पत्र के साथ दर्ज करेगें। जिन बोली दाताओं ने रु. 10,000 नकद या डिमांड ड्राफ्ट वरि मंडल वित्त प्रबंधक, उत्तर रेलवे, अम्बाला छावनी के नाम पर (जोकि केवल अम्बाला छावनी में देय होगा) जमा करवाया होगा एवं जिनकी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज होगी वह बोलीदाता नीलामी में बोली देने के लिए मान्य होंगे। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत प्रवेश शुल्क वापिस कर दिया जाएगा। नीलामी के दौरान कोयला खरीदने वाले के अनियंत्रित व्यवहार के कारण उसकी अग्रिम राशि रुपए 10,000/- नीलामी संचालित करवाने वाले अधिकारी द्वारा जब्त कर ली इसके अलावा उसके इस व्यवहार को रोकने हेतु उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही की जाएगी। नीलामी की नियम व शर्तें उत्तर रेलवे की वेबसाइट **www.nr.indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी। **संख्याः सी-7-वाणिज्य/डी.वैगन/बराड़ा-केसरी/अम्बाला/17 दिनांकः 04.12.2017. 3778/2017**

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ